अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, बोकारो।

एल0सी0 अपील वाद संख्या......02.../2013

(साधु साव बनाम् जयनाथ राम)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22.03.2023	प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) न्यायालय का भू–हदबंदी वाद सं0–15/2011–12 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 09.11.2012 के विरूद्ध साधु साव, पिता स्व0 पुशु महतो, ग्राम–जरकुण्डा, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो के द्वारा लाया गया है। विवादित भूमि मौजा–जरकुण्डा, खाता नं0–12 प्लॉट नं0–465, रकवा–0.05 एकड़ भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) के द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध अपीलवाद दायर किया गया है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी साधु साव एवं प्रतिपक्षी जयनाथ राम द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित आवेदन दिया गया है, जिसमें वर्णित है कि **"इस वाद में दोनों पक्षों की ओर से आपसी समझौता हो चुका है। इस कारण इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाय।"** इस संदर्भ में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि पक्षकार की ओर से आपसी समझौता हो गया है और इस वाद में अन्य कोई विवाद नहीं है। उभय पक्ष उक्त वाद को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वाद को चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गये संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित सुलहनामा आवेदन तथा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के अनुरोध के आधार पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। (ह0) 22/3/23 — अपर समाहर्त्ता, बोकारो। (ह0) 22/3/23 — अपर समाहर्त्ता, बोकारो।	

Digitally signed by MOHAMMAD MUMTAZ ANSARI
Date: 2024.12.30 12:13:05 +05:30
Location: 192.168.1.101